जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 10-11 -20**

थाना मुरादनगर पुलिस ने पकडी अबैध हथियार बनाने की फैक्ट्री, 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार जिनके कब्जे से अधबने तमंचे व रिवाल्वर, भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण व 2,50,000/- रुपये बरामद

कार्यवाहीः- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक थाना मुरादनगर के नेतृत्व मे एक व्यक्ति मौ0 उमर उर्फ मास्टर नये बने अबैध तमंचे 315 बोर के साथ बीएसएनएल चौराहा रावली रोड के पास से चैकिंग के दौरान पकडा गया। इससे सख्ती से पूछताछ की गयी तो इसने बताया कि यह आदर्श कालोनी थाना मुरादनगर में एक अबैध तमंचा फैक्ट्री चला रहा है, जब फैक्ट्री पर इसको लेकर पुलिस टीम गयी तो वहां पर अबैध तमंचा बनाते हुए 03 अभियुक्त मौइनुद्दीन, नौशाद व रूमी मिले, जिनको तत्काल हिरासत में लिया गया। इन लोगो के कब्जे से एक अधबना 32 बोर रिवाल्वर, दो अधवने 315 बोर तमंचे,13 बैरल 315 बोर सहित भारी मात्रा में तमंचे बनाने के उपकरण व अबैध तमंचे बेचकर कमाये गये दो लाख रुपये पचास हजार रुपये भी बरामद हुए। ये लोग अबैध रुप से तमंचे बनाकर लोगों को सप्लाई करते थे। इन लोगों में से मौ0 उमर उर्फ मास्टर तमंचे बनाने का कुशल कारीगर है, जो पहले भी अपने पुत्र नौशाद के साथ तमंचा फैक्ट्री चलाते हुए वर्ष 2006 में गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिन्हें मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. मौ0 उमर उर्फ मास्टर पुत्र अब्दुल समद निवासी आदर्श कालोनी गली न0 3 कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद
2. मौइनुद्दीन पुत्र मौ0 हनीफ निवासी मोहल्ला नूरगंज पुरानी अनाज मंडी, कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद
3. नौशाद पुत्र मौ0 उमर उर्फ मास्टर निवासी आदर्श कालोनी कस्बा मुरादनगर गा0बाद
4. रूमी पत्नी मौ0 उमर उर्फ मास्टर निवासी आदर्श कालोनी कस्बा मुरादनगर गा0बाद

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से कडाई से पूछताछ की गयी तो इन लोगो ने बताया कि हम लोग आदर्श नगर में अपने घर में अबैध तमंचा फैक्ट्री चलाते हैं, हम लोगों में से मौ0 उमर उर्फ मास्टर तमंचे का स्पेशलिस्ट कारीगर है। हम लोग विभिन्न उपकरणों से तमंचे बनाते हैं उन्हें एनसीआर क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं, जो दो लाख पचास हजार रुपये आपने हमसे बरामद किये हैं वह हमने विभिन्न जगहों पर तमंचो को बेचकर इकट्ठा किये थे। उससे हम कुछ और औजार खरीदने वाले थे तथा आपस में बांटने वाले थे कि आपने पकड लिया।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ0 उमर उर्फ मास्टर –

- मु0अ0सं0 418/06 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 19/07 धारा 3 यू0पी0 गुंडा एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 809/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- मु0अ0सं0 810/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मौइनुद्दीन –

- मु0अ0सं0 810/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नौशाद –

- ➢ मु0अ0सं0 418/06 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद
- ➢ मु0अ0सं0 810/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्ता रूमी –</u>

- ➢ मु0अ0सं0 810/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर, गा0बाद

<u>अभियुक्तगणो से बरामदगी का विवरणः-</u>

1. एक तमंचा 315 बोर,
2. एक तमंचा 315 बोर अधबना
3. एक रिवाल्वर 32 बोर अधबना व एक रिवाल्वर की गरारी
4. 13 तमंचे के बैरल 315 बोर,
5. 12 तमंचे के फायरिंग पिन तथा 20 फायरिंग पिन में लगने वाले गुटखे,
6. 04 जिन्दा कारतूस (एक कारतूस जिंदा 315 बोर, एक कारतूस जिन्दा 303 बोर, एक कारतूस जिन्दा 32 बोर, एक कारतूस 12 बोर)
7. 02 इलैक्ट्रिक मशीने (एक वैल्डिंग मशीन छोटी इलैक्ट्रिक, एक ड्रिल मशीन इलैक्ट्रिक)
8. 01 लकडी की चाप काटने का कटर, एक आरी लोहा काटने की, एक डब्बा आरी का पत्ता,
9. 16 बर्मे ड्रिल मशीन के, 40 छोटे स्प्रिंग, दो बंडल रिपट के तार, 08 रेती, 01 रेती तिकोरी, 03 ब्रडे स्प्रिंग, 08 फायरिंग पिन बनाने की रॉड, एक लोहा पीटने का ठिया,
10. दो लोहे की कमानी, 06 लकडी के गुटखे चाप बनाने के लिए, 03 ड्रिल मशीन के ठिए , 03 हेमर पत्ती, व 02 ट्रेगर पत्ती, एक रेगमाल बंडल, एक पाइपरेंच, एक संडासी, दो छैनी, दो सुम्भी, एक रॉड मोडने का ठिया, एक प्लास, एक नोज प्लास एक हथौडा , तीन पेचकस, एक काइया
11. 20 बॉडी की साइड प्लेट, 04 ट्रैगर, 09 खोलने व बन्द करने की पत्ती, 04 बैरल को ढालने के क्लिप/शिकंजा, 02 बट क्लिप/शिकंजा, एक वायर कटर, एक लकडी काटने की आरी, एक शिकंजा, एक ड्रिल मशीन की चाबी, व दो चाबी नट खोलने व बन्द करने की।
12. **2,50,000/-** रुपये नगद

थाना कविनगर पुलिस द्वारा मोवाइल फोन लूट/ चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मोवाइल फोन लूट/ चोरी करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 10.11.20 को अभियुक्त गण 1.साजिद पुत्र

सफीक नि0 लक्ष्मी गार्डन जामा मस्जिद के पास चौकी इन्द्रापुरी थाना लोनी बार्डर जिला गा0बाद 2.अदल शेर पुत्र हबीब खा नि0 ग्राम बेवर थाना इस्लामनगर जि0 बदायू 3.अजीम पुत्र याकूव नि0 ग्राम व्योर कासमाबाद थाना इस्लामनगर जि0 बदायू को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूटे हुये 04 मोवाइल फोन बरामद किये गये है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो गा0बाद नगर क्षेत्र व नोयडा, दिल्ली राह चलते लोगो से मोवाइल फोन छीनकर फरार हो जाते है। और मोवाइल फोनो को दिल्ली अथवा राह चलते लोगो को सस्ते दामो में बेच देते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण–

1.साजिद पुत्र सफीक नि0 लक्ष्मी गार्डन जामा मस्जिद के पास चौकी इन्द्रापुरी थाना लोनी बार्डर जिला गा0बाद

2.अदल शेर पुत्र हबीब खा नि0 ग्राम बेवर थाना इस्लामनगर जि0 बदायू

3.अजीम पुत्र याकूव अली नि0 ग्राम व्योर कासमाबाद थाना इस्लामनगर जि0 बदायू

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1- मु0अ0सं0 1567/20 धारा 41/102 सी.आर.पी.सी व 411/414 भादवि ।

बरामदगी का विवरण -

1.चार मोवाइल फोन जिनमें एक सैमसंग ग्लैक्सी, 01 ओपो, एक वीवो, एक सैमसंग जे-2 है

2.मो0सा0 प्लसर न0 डी.एल 8 एस ए.के-5076 (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 1567/20 धारा 41/102 सी.आर.पी.सी व 411/414 भादवि ।

एक अभियुक्त नशीला पाऊडर सहित गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त खुर्शीद आलम उर्फ फिजू पुत्र मुन्ना आलम निवासी अंसार विहार थाना लोनी गा0बाद को 180 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ अंसार बिहार से दिनांक 10.11.2020 गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

खुर्शीद उर्फ फिजू पुत्र मुन्ना आलम निवासी अंसार विहार थाना लोनी गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण अभियुक्त कलीम-

मु0अ0सं0-962/2020 धारा 8/22 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरणः-

1. 180 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर नाजायज बरामद

थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा 14 बोरे अवैध आतिशबाजी पटाखे सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा दिनांक 09/11/20 को समय 21.50 बजे चैकिंग के दौरान गत्ता फैक्ट्री के पीछे की फर्रूखनगर ओर एक अभियुक्त गुलजार पुत्र नन्हे उर्फ झंगीरा नि0 असालतपुर फर्रूखनगर, थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा 03 अभियुक्तगण (1) सलमान पुत्र जबरदीन(2)शेरखान पुत्र अलीशेर (3) गुलफाम पुत्र नन्हे उर्फ झंगीरा नि0गण फर्रूखनगर थाना टीला मोड गा0बाद मौके से फरार हो गये, जिसके सम्बन्ध पर थाना टीला मोड पर मु0अ0सं0 456/20 धारा 9(ख)(1)(ख) विस्फोटक अधि0 पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

गुलजार पुत्र नन्हे उर्फ झंगीरा नि0 असालतपुर फर्रूखनगर, थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद

मौके से फरार अभियुक्तः-

(1) सलमान पुत्र जबरदीन नि0 असालतपुर फर्रूखनगर, थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद
(2) शेरखान पुत्र अलीशेर , नि0 असालतपुर फर्रूखनगर, थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद
(3) गुलफाम पुत्र नन्हे उर्फ झंगीरा, नि0 असालतपुर फर्रूखनगर, थाना टीला मोड, गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1- मु0 अ0 स0 456/20 धारा 9(ख)(1)(ख) विस्फोटक अधि0, थाना टीला मोड गा0बाद

अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी

14 बोरे अवैध आतिशबाजी पटाखे

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 10.11.2020 को मुखबिर खास की सूचना पर समय करीब 08.20 बजे लोनी डिपो बस स्टैण्ड से एक व्यक्ति जिसका नाम रोबिन उर्फ टोनी पुत्र रमेश नि0 ललियाना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया,जो अ0सं0 970/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

रोबिन उर्फ टोनी पुत्र रमेश नि0 ललियाना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

अभियुक्त रोबिन उर्फ टोनी का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 970/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
मु0अ0सं0 63/2020 धारा 302,506,34 भादवि थाना लोनीबार्डर गा0बाद।
मु0अ0सं0 826/2020 धारा 394,411 भादवि थाना लोनीबार्डर गा0बाद।